न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी - मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2019/00364

अर्जुन लाल आत्मज मथुरालाल, जाति मीणा निवासी ग्राम भवानीपुरा, तहसील पीपल्दा जिला कोटा

– अपीलांट

बनाम

1. लोकश पुत्र सीताराम, जाति मीणा
2. नितेश पुत्र सीताराम, जाति मीणा
3. कविता पुत्री सीताराम, जाति मीणा
4. मोनू पुत्री सीताराम, जाति मीणा
5. सूरज कला बेवा पत्नि स्व0 सीताराम जाति मीणा
6. राधेश्याम आत्मज रामनारायण, जाति मीणा
7. मांगीबाई पुत्री रामनारायण, जाति मीणा
8. रामसिया पुत्री रामनारायण, जाति मीणा
   निवासीगण जोरावरपुरा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
9. मिथला पुत्री रामनारायण, जाति मीणा निवासी जोरावरपुरा मृतक जरिये कायम मुकामान–
   9(1)–हेमन्त पुत्र नन्दलाल, जाति मीणा
   9(2)–मुध मीणा पुत्री नन्दलाल, जाति मीणा
   9(3)–माणकचन्द पुत्र नन्दलाल जाति मीणा
   9(4) नन्दलाल(पति मृतका मिथला) जाति मीणा निवासीगण ग्राम लुहावद, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राजस्थान।
10. बद्री बाई पुत्री रामनारायण जाति मीणा
11. नट्टी पुत्री रामनारायण, जाति मीणा
12. पारी बाई पुत्री रामनारायण, जाति मीणा निवासीगण ग्राम जोरावरपुरा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राजस्थान
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
14. उप पंजीयक, पीपल्दा कलां, तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री संजय पाटौदी, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री हेमन्त कृष्ण विजयवर्गीय, अभिभाषक 1 से 6 की ओर से।

अपील संख्या 2019/00364
अर्जुन लाल बनाम लोकेश वगै0

निर्णय

दिनांक 28.02.2025

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 13/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 31.07.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि वाके ग्राम जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा सेटलमेंट से पूर्व आराजी खसरा नम्बर 122/343 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कृषि भूमि गैर खातेदार रामनारायण पुत्र जगन्नाथ जाति मीना निवासी जोरावरपुरा के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, जिसके सेटलमेंट के बाद नवीन खसरा नम्बर 92 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.04 हैक्टेयर कायम किये है, जिसको आगे वादपत्र में विवादित भूमि शब्द से सम्बोधित किया गया है। वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित विवादित भूमि वादी ने दिनांक 13.08.1985 को दिनांक अक्षरे चार हजार रूपये में रामनारायण पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी जोरावरपुरा से खरीद की थी। जिसकी लिखावट 5 रूपये के स्टाम्प पर गवाहों के समक्ष हुई थी तथा मोके पर वादी को कब्जा संभलाया था तभी से वादी विवादित भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। विकेता रामनारायण पुत्र जगन्नाथ मीना निवासी जोरावरपुरा की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 मृतक रामनारायण के विधिक वारिसान है। विवादित भूमि पर वादी दिनांक 13.08.1985 से निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है अर्थात वादी पिछले 30 वर्षो से विवादित भूमि पर दिनांक 13.08.1985 के बाद रामनारायण व उसके वारिसान का कभी कब्जा नहीं रहा है, इसलिये वादी एडवर्स पजेशन का अधिकार प्राप्त हो गया है। विवादित भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी कम 1 लगायत 13 नाम दर्ज है, जिसका लाभ उठाकर प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की भूमि में बाधा उत्पन्न करते है तथा विवादित भूमि को रहन, बैचान आदि करने पर आमादा, इसलिये वादी को एडवर्स पजेशन के आधार पर अधिकार प्राप्त है कि वह सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर प्रतिवादी कम 1 लगायत 13 के विरूद्ध एडसर्व पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार व स्थाई निषेधाज्ञा निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त करें। दिनांक 04.05.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 द्वारा विवादित भूमि से वादी को बेदखल करने व विवादित भूमि को रहन, बैचान आदि करने की धमकी दे रहे है, जबकि मौके पर पिछले 30 वर्षों से वादी को विवादित भूमि से बेदखल करने का अधिकार नहीं है इस कारण वादी विवादित भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार की डिकी प्राप्त करने का अधिकारी है तथा रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त करने के अधिकारी हैं वाद कारण दिनांक 04.05.2016 को प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि हो रहन, बैचान आदि करने तथा वादी को बेदखल करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ है। वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में व

प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम जोरावरपुरा में दर्ज नवीन खसरा नम्बर 92 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.11 हैक्टेर, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.04 हैक्टेयर कृषि भूमि पर वादी को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने का आदेश फरमाया जावे। प्रतिवादी कम 1 लगायत 13 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें व बिना विधिक प्रकिया अपनाये वादी को विवादित भूमि से बेदखल नहीं करे। तथा प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 13 नवीन खसरा नम्बर 92 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.04 हैक्टेयर कृषि भूमि को रहन, बैचान, वसीयत आदि नहीं करें। ऐसा कार्य न तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। प्रतिवादी संख्या 15 विवादित भूमि से सम्बंधित किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी वादी के हितार्थ हो जारी की जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11, आदेश 13 नियम 3 सी.पी.सी. व धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2018 को वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2018 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2018 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय दिनांक 31.07.2018 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 13, 14 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में एक अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर रखी थी जिसमें दिनांक 03.05.2019 को उक्त निर्णय की नकल रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश की जाने पर प्रार्थी की अपील को खारिज कर दिया गया। दिनांक 13.08.2019 को कोटा आया तथा वकील से सम्पर्क किया तब उक्त निर्णय के बाबत सर्वप्रथम वकील द्वारा बतलाने पर जानकारी हुई। अपील पेश करे हेतु हिदायत दी गई जिस पर दिनांक 14.08.2019 को अपीलांट ने उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने का प्रार्थना–पत्र पेश कर नकल प्राप्त की तथा खर्चे व वकील की फीस का इन्तजाम कर अविलम्ब अपील पेश की है जो सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक से अवधि मध्य पेश है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने मे हुए विलम्ब को डिले कंडोन किये जाने का आदेश फरमावे। अन्त में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर विलम्ब को कण्डोन फरमाया जाकर अपील अवधि मध्य होने की आज्ञा फरमाई जावे।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि न्याय एवं संचिका के सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना ही निर्णय प्रदान किया है जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक होने से निरस्तनीय हैं योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के एवं बिना कोई विवेचन किये ही तथा इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया कि ग्राम जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में सेटलमेंट से पूर्व की आराजी खसरा नम्बर 122/343 की रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कृषि भूमि गैर खातेदार रामनारायण पुत्र जगन्नाथ, जाति मीणा निवासी जोरावरपुरा के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी जिसके सेटलमेंट के बाद नवीन खसरा नम्बर 92 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.04 हैक्टेयर कायम किये गये है। उपरोक्त विवादित आराजी अपीलांट ने दिनांक 13.08.1985 के अक्षरे 4 हजार रूपये में रामनारायण पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी जोरावरपुरा से खरीद की थी जिसकी लिखावट 5 रूपये के स्टाम्प पर गवाहों के समख लिखी गई तथा मोके पर अपीलांट को कब्जा संभलाया गया तभी से ही यानि विगत 34 सालो से निरन्तर कब्जा अपीलांट का चला आ रहा है तथा अपीलांट भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। विकेता रामनारायण पुत्र जगन्नाथ, मीणा निवासी जोरावरपुरा की मृत्यु हो चुकी है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 13 मृतक रामनारायण के वारिसान है। उक्त तथ्य को अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में पूरी तरह से साबित कर दिया था लेकिन फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालण्य ने बिना किसी कारण के उक्त निर्णय पारित करते हुए अपीलांट के वाद को डिक्री नहीं कर निरस्त करने में भारी त्रुटि की है। विवादित भूमि पर अपीलांट का सन् 1985 से

निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट गत 34 साल से निरन्तर वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है। विवादित भूमि की लगान व पिलाई अपीलांट जमा करवाता है। सन् 1985 के बार रेस्पोडेन्टगण का कोई कब्जा वादग्रस्त भूमि पर नहीं रहा है। अपीलांट को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.07.2018 में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. खारिज किए जाने का आदेश अंकित किया है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को खारिज किए जाने का अंकन अपनी आदेशिका में किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पृथक से कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2018 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अपंजीकृत विक्रय–विलेख के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है हो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। तथा अनरजिस्टर्ड विक्रय–विलेख के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना कानूनन उचित नहीं है। अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर प्रस्तुत वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं होकर सक्षम सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अपंजीकृत दस्तोवज के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किए जा सकते। अचल सम्पत्ति का अंतरण पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा किया जाना ही विधि मान्य है। अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर सम्पत्ति का पूर्ण रूप से अंतरण होना स्वीकार नहीं किया जा सकता अतः अपीलांट को प्रश्नगत अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर वादग्रस्त भूमि में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अपीलांट को वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार के हक अधिकार प्रश्नगत इकारारनामे के आधार पर प्राप्त नहीं होते है अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों के आधार पर खारिज किए जाने योग्य हे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2018 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील एंव वाद सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2018 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

10. अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में वादी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में हक अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2018 की आदेशिका में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किए जाने तथा वाद निरस्त किए जाने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पृथक से लिखे गये निर्णय दिनांक 31.07.2018 में कियात्मक आदेश के अंश इस प्रकार है– "प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11, आदेश 13 नियम 3 का गहन अध्ययन अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रकरण के अवलोकन में स्पष्ट है कि वादी की ओर से वाद पत्र अनरजिस्टर्ड दस्तवेजों के आधर पर प्रस्तुत हुआ है। प्रकरण में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। एवं विधि अनुसार आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अधीन प्रार्थना–पत्र वाद के किसी भी प्रक्रम पर प्रस्तुत एवं विनिश्चित किया जा सकता है। अतः प्रार्थी अर्जुनलाल का प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11, आदेश 13 नियम 3, 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाता है।" अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2018 में अंकित कियात्मक आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.07.2018 में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. खारिज किए जाने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2018 के आधार पर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के सम्बंध में पारित आदेश का संदेहास्पद होना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2018 के अवलोकन से यह निर्धारित किया जाना संभव नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के सम्बंध में अंतिम रूप से क्या आदेश पारित किया गया है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.07.2018 में अंकित आदेश अस्पष्ट व संदेहास्पद है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को स्पष्ट आदेश पारित किए जाने के निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 13/2016 में पारित निर्णय दिनांक 31.07.2018 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11, आदेश 13 नियम 3, धारा 151 सी.पी.सी. पर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए स्पष्ट रूप से

निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 15.04.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

13. निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/2/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा